कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ( )2023–24 / TOFR / विकास / प्रमुवसं /   दिनांक :

आदेश

राज्य में संचालित ट्री ऑउटसाईड फोरेस्ट इन राजस्थान (TOFR) योजना के अन्तर्गत वितरित किये जा रहे पौधों के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प.10(3)वन / 2022 दिनांक 14.07.2023 द्वारा किसी संस्था, विभाग इत्यादि द्वारा 50 हजार से अधिक एवं 2 लाख तक पौधे लिए जाने पर नियत दर का 50 प्रतिशत डिस्काउंट एवं 2 लाख से अधिक पौधे लेने पर नियत दर का 75 प्रतिशत डिस्काउंट दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस क्रम में निम्नानुसार प्रकिया अपनाए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. संस्था / विभाग द्वारा सीधे ही उप वन संरक्षक को बल्क में पौधे उपलब्ध कराने हेतु मांग पत्र दिया जायेगा। उप वन संरक्षक, संस्था / विभाग को नियमानुसार डिस्काउंट कर, इनवाइस जारी करेगें। संस्था / विभाग द्वारा राशि आर.टी.जी.एस / चैक / डी.डी. द्वारा जमा कराये जाने के पश्चात् उप वन संरक्षक, नर्सरी प्रभारियों को पौधे उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे। यदि संस्था / विभाग द्वारा एक से अधिक जिलो में पौधो की आवश्यकता प्रस्तुत की जाती है, तो सर्वाधिक पौधों की संख्या वाले वन मण्डल के उप वन संरक्षक द्वारा इनवाइस जारी की जावेगी।
2. नर्सरी प्रभारी पौधे उपलब्ध कराने से पूर्व उप वन संरक्षक से प्राप्त आदेश की प्रति एवं जमा राशि की रसीद की प्रति प्राप्त कर नर्सरी एप में जाकर निम्न कार्यवाही करेंगे :– FMDSS में Citizen Distribution को ओपन करेंगे, वहां पर Special Discount की Tab पर Click कर Discount Type (50%/75%) का चयन करगें तत्पश्चात Payment Mode का चयन कर Payment Date, Ref.no (उप वन संरक्षक का आदेश कमांक भरकर उप वन संरक्षक के ओदश की प्रति को अपलोड करेगें। रिमार्क कॉलम में (Special Discount Applicable) टाईप करेगें।

   50 हजार से अधिक पौधों का मांग पत्र ऑफ लाईन ही स्वीकार होगा। 50 हजार पौधों तक कोई डिस्काउंट देय नहीं है। 50 हजार से एक पौधा भी अधिक होने पर पूरी संख्या पर डिस्काउंट देय होगा। 6 माह व 12 माह के पौधों की संख्या की गणना पृथक–पृथक की जायेगी अर्थात यदि कोई संस्था / विभाग 6 माह के 30 हजार (50 हजार से कम होने के कारण) एवं 12 माह के 60 हजार (50 हजार से अधिक होने के कारण) पौधे लेती है तो 6 माह के पौधों पर कोई डिस्काउंट देय नहीं है एवं मात्र 12 माह के पौधों पर ही डिस्काउंट देय होगा।

Sd/-

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक : एफ( )2023–24 / TOFR / विकास / प्रमुवसं / 5968   दिनांक : 20/7/23

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर